विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष			I. व्यय		
(क) नकद रोकड़	-	-	(क) संस्थापना व्यय		
			वेतन, पी एफ आदि	1,58,92,459	1,52,39,730
(ख) बैंक में जमाराशि			बोनस	1,49,673	1,58,884
i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	2,52,50,162	2,26,621	उपदान व्यय	10,68,087	2,77,440
ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	92,20,586	2,70,00,000	पेंशन फंड में परिषद का अंशदान	2,71,250	3,02,500
iii) भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता	11,02,708	1,27,66,150	स्टाफ कल्याण व्यय	55,000	14,510
			प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	61,272	39,821
(ग) अन्य			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	9,46,493	18,82,641
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	1,13,693	1,40,000
प्रेषक के पास डाक टिकटें	12,738	740	एल टी सी व्यय	1,20,834	61,265
चेक इन हैंड			छुट्टी नकदीकरण (एल टी सी)	2,00,818	2,96,615
II. अनुदान			(ख) प्रशासनिक व्यय		
			विज्ञापन व्यय	67,522	1,57,990
एमईए से अनुदान - सामान्य	10,00,00,000	8,36,65,000	लेखापरीक्षा शुल्क	1,17,650	1,04,650
एमईए से अनुदान - वेतन	1,87,00,000	1,66,00,000	अन्य व्यय	4,17,424	29,744
एमईए से अनुदान - परियोजना	15,73,096	1,03,57,967	प्रकाशन की लागत	20,86,788	13,08,370
			सीएससीएपी सामान्य व्यय	-	2,227
			विद्युत एवं जल प्रभार	60,03,513	52,55,471
III. आय			कार्यालय बीमा व्यय	89,786	72,806
पुस्तकालय सदस्यता	96,900	79,600	बैठक एवं सेमिनार व्यय	1,87,67,416	77,28,645
विविध आय	1,28,141	3,94,998	एनडीएमसी गृह कर	30,48,819	33,87,610
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	5,57,537	5,54,284	कार्यालय व्यय	7,46,982	8,95,474
बचत खाते से अर्जित आय	9,848	1,70,848	टिकट एवं टेलीग्राम	46,812	45,652
स्थायी जमा से आय	11,04,679	9,61,860	व्यावसायिक प्रभार	2,78,71,816	2,71,16,871
			प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	12,38,652	6,49,819
IV. अन्य प्राप्तियां			मरम्मत एवं रख-रखाव	38,09,254	42,71,998
प्रतिभूत जमा- पुस्तकालय	28,000	32,000	सुरक्षा व्यय	23,50,358	19,74,162
कर्मचारियों से त्योहार अग्रिम की वसूली	1,75,994	22,950	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	9,07,206	7,66,214
वसूल किया गया अन्य अग्रिम	2,57,621	2,10,357	यात्रा एवं वाहन	23,10,107	30,41,625
रद्द चेक	77,603	20,267	समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्र पत्रिका	3,81,207	2,75,228
			ग्राहक शुल्क एवं सदस्यता व्यय	5,75,581	5,19,948
			वेबसाइट व्यय	4,55,626	9,440
			एनआईसीएसआई - वेबसाइट के लिए अग्रिम	10,73,735	-
कुल अग्रनीत	15,83,00,613	15,30,68,642	कुल अग्रनीत	9,12,45,833	7,60,27,349

ह./-
लेखापाल

ह./-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

ह./-
उप महानिदेशक

ह./-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रनीत	15,83,00,613	15,30,68,642	कुल अग्रनीत	9,12,45,833	7,60,27,349
			II. **अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान**		
			कंप्यूटर / उपसाधन	7,58,710	8,70,781
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	2,17,246	9,59,386
			पुस्तकालय की किताबें एवं पत्र-पत्रिकाएं	44,55,252	63,88,111
			इलेक्ट्रानिक इंस्टालेशन	-	1,17,008
			पुस्तकालय की आई टी अवसंरचना	11,19,230	7,32,456
			कार्यालय उपस्कर	98,75,349	42,34,858
			पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति पर है	-	1,31,320
			नलकूप जलापूर्ति	-	44,781
			III. <u>प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय</u>		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	2,800	-
			कारपोरेट इनफोटेक (निविदा ईएमडी)	10,000	-
			यूवी प्रौद्योगिकी (ईएमडी मनी)	10,000	-
			IV. <u>अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)</u>		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	1,24,33,396	1,21,14,523
			परियोजनाओं का उपयोग	2,36,669	99,79,958
			अनुसंधान / सेमिनार के लिए अनुदान	42,53,615	53,15,325
			अन्य अग्रिम	8,56,257	5,61,592
			(क) नकद शेष		
			<u>(ख) बैंक में जमा राशि</u>		
			i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	2,23,12,330	2,52,50,162
			ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	1,05,00,000	92,20,586
			iii) भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता	-	11,02,708
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	8,926	12,738
कुल	15,83,00,613	15,30,68,642	कुल	15,83,00,613	15,30,68,642

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03/06/2019

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखापाल	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2019 अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह/पूंजी निधि	1	2,36,40,520	2,17,11,306
निर्धारित/अक्षय निधि	2	20,999	18,769
आस्थगित आय	3	15,55,42,281	13,87,20,771
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	4,93,30,589	6,79,46,993
कुल		22,85,34,389	22,83,97,839
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	15,63,91,545	13,96,15,940
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	7,21,42,844	8,87,81,899
कुल		22,85,34,389	22,83,97,839
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03/06/2019

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखापाल	**वरिष्ठ लेखा अधिकारी**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4 बी देखें)		10,71,25,699	8,69,80,409
सदस्यता फीस	7	83,406	89,788
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	8	5,57,537	5,54,284
अर्जित ब्याज	9	12,06,035	12,79,192
अन्य आय	10	1,57,10,130	1,47,62,680
कुल (क)		12,46,82,807	10,36,66,353
व्यय			
स्थापना व्यय	11	1,87,70,880	1,91,57,744
अन्य प्रशासनिक व्यय	12	8,32,00,568	6,20,96,970
अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		31,20,463	44,10,325
प्रकाशनों की लागत		20,33,788	13,15,370
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		1,56,27,894	1,44,16,196
कुल (ख)		12,27,53,593	10,13,96,605
शेष आधिक्य होने के कारण/(कमी) (क-ख)		19,29,214	22,69,748
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान :

दिनांक : 03/06/2019

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखापाल	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2019 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1 - संग्रह/पूंजी निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		2,17,11,306		1,94,41,558
जोड़ें : संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	-		-	
जोड़िए: आय और व्यय लेखे से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	19,29,214		22,69,748	
		19,29,214		22,69,748
वर्ष के अंत में अतिशेष		2,36,40,520		2,17,11,306

अनुसूची 2 - निर्धारित/अक्षय निधियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) **निधियों का प्रारंभिक अतिशेष**	18,769	(3,59,240)
ख) **निधियों में परिवर्धन::**		
दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण	15,75,096	1,03,57,967
निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	-	-
ग) **निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय**		
i. पूंजी व्यय		
- अचल परिसंपत्तियां	-	-
- अन्य	-	-
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	-	-
- किराया		
- अन्य - यात्रा एवं अन्य व्यय	15,72,866	99,79,958
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय / अंतर्लेखे का समायोजन	-	-
वर्ष के अत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	20,999	18,769
अनुसूची 6-ख में स्थानांतरित नामे शेष (निवल)	20,999	18,769
	-	-

अनुसूची 3- आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	13,87,20,771	12,77,90,770
जोड़िए: अवक्षयीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (निवल)	3,24,03,499	2,52,97,683
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम जो आय और व्यय लेखे में अंतरित कर दी गई है।	1,55,81,989	1,43,67,682
कुल	15,55,42,281	13,87,20,771

ह./- ह./- ह./- ह./-

लेखापाल वरिष्ठ लेखा अधिकारी उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2019 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूचा 4- वर्तमान देनदारियां आर प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां				
1) विविध लेनदार		40,92,835		13,21,649
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		54,682		41,188
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	5,08,648		6,05,854	
		5,08,648		6,05,854
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	5,83,140		5,67,940	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) अनुसूची संदर्भ देखें)	3,36,14,232		5,44,43,430	
ग) देय वेतन एवं भत्ते	10,94,663		10,53,166	
घ) अन्य देनदारियां	4,13,096		6,61,684	
		3,57,05,131		5,67,26,220
कुल (क)		4,03,61,296		5,86,94,911
ख. प्रावधान				
उपदान के लिए प्रावधान		89,69,293		92,52,082
कुल (ख)		89,69,293		92,52,082
कुल (क+ख)		4,93,30,589		6,79,46,993

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अंतिशेष	5,44,43,430	6,64,56,522
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	11,87,00,000	10,02,65,000
	17,31,43,430	16,67,21,522
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	10,71,25,699	8,69,80,409
	6,60,17,731	7,97,41,113
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	3,24,03,499	2,52,97,683
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	3,36,14,232	5,44,43,430
कुल	3,36,14,232	5,44,43,430

ह./- ह./- ह./- ह./-

लेखापाल वरिष्ठ लेखा अधिकारी उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2019 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्ति

(राशि रुपए में)

विवरण	GROSS BLOCK				विवरण				निवल ब्लाक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
निजी निधि से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	19,84,748	44,040	-	20,28,788	8,36,742	8,80,782
2.फर्नीचर, फिक्सचर	1,88,400	-	-	1,88,400	1,79,862	1,280	-	1,81,142	7,258	8,538
3.पुस्तकालय पुस्तिकाएं एव पत्रिकाएं	38,967	-	-	38,967	33,118	585	-	33,703	5,264	5,849
उप - जोड़(क)	30,92,897	-	-	30,92,897	21,97,728	45,905	-	22,43,633	8,49,264	8,95,169
केंद्र सरकार के अनुदान से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	6,52,26,197	18,74,379	-	6,71,00,576	1,51,66,782	25,49,830	-	1,77,16,612	4,93,83,964	5,00,59,415
2. फर्नीचर, फिक्चर	4,46,56,879	2,17,246	-	4,48,74,125	2,69,15,286	26,87,274	-	2,96,02,560	1,52,71,565	1,77,41,593
3. कार्यालय उपस्कर	2,46,00,908	1,44,13,133	-	3,90,14,041	1,02,32,716	32,66,277	-	1,34,98,993	2,55,15,048	1,43,68,192
4. कैम्प्यूटर/उपसाधन	1,55,68,533	8,14,861	-	1,63,83,394	1,21,85,052	10,18,416	-	1,32,03,468	31,79,926	33,83,481
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	4,16,17,245	68,52,508	-	4,84,69,753	1,70,05,623	29,02,430	-	1,99,08,053	2,85,61,700	2,46,11,622
6. पुस्तकालय आइटी अवसंरचना	1,46,26,384	11,19,230	-	1,57,45,614	1,21,50,808	8,98,702	-	1,30,49,510	26,96,104	24,75,576
7. विद्युत इंस्टालेशन	3,19,20,584	14,06,760	-	3,33,27,344	1,78,17,646	22,20,948	-	2,00,38,594	1,32,88,750	1,41,02,938
8. साइकिल एवं रिक्शा	7,000	29,500	-	36,500	4,924	311	-	5,235	31,265	2,076
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,57,596	-	-	10,57,596	3,01,561	37,801	-	3,39,362	7,18,234	7,56,035
उप - जोड़ (ख)	23,92,81,326	2,67,27,617	-	26,60,08,943	11,17,80,398	1,55,81,989	-	12,73,62,387	13,86,46,556	12,75,00,928
चालू वर्ष का जोड़ (क+ख)	24,23,74,223	2,67,27,617	-	26,91,01,840	11,39,78,126	1,56,27,894	-	12,96,06,020	13,94,95,820	12,83,96,097
पिछला वर्ष	20,91,97,423	1,87,06,299	10,18,892	22,68,84,830	8,66,65,010	1,38,94,168	9,97,248	9,95,61,930	12,73,22,900	12,25,32,413
जारी पूंजीगत कार्य									1,68,95,725	1,12,19,843
कुल									15,63,91,545	13,96,15,940

ह./- ह./- ह./- ह./-

लेखापाल वरिष्ठ लेखा अधिकारी उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2019 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 -चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		13,926		17,738
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	2,23,12,330		2,52,50,162	
- जमा खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	1,05,00,000		92,20,586	
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	-		11,02,708	
		3,28,12,330		3,55,73,456
कुल (ख)		3,28,26,256		3,55,91,194
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्यूडी		3,26,18,182		4,57,58,950
ख) पूर्व-भुगतान		16,75,641		39,64,327
ग) आयकर (टीडीएस) वसूली योग्य		-		1,23,960
घ) निर्धारित निधि लेखे पर		-		-
ङ) अन्य		44,43,389		28,55,600
2 उपार्जित आय				
क) जमा लेखे पर		5,79,376		4,87,868
कुल (ख)		3,93,16,588		5,31,90,705
कुल (क + ख)		7,21,42,844		8,87,81,899

ह./- ह./- ह./- ह./-

लेखापाल वरिष्ठ लेखा अधिकारी उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 7 सदस्यता फीस	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुस्तकालय सदस्यता	83,406	89,788
कुल	83,406	89,788

अनुसूची 8 रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रॉयल्टी	5,57,537	5,54,284
कुल	5,57,537	5,54,284

अनुसूची - 9 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) निर्धारित बैंक के साथ जमा शर्तों पर (भारतीय स्टेट बैंक)	11,96,187	11,08,344
2) निर्धारित बैंक के साथ बचत खाते पर पर (भारतीय स्टेट बैंक)	9,848	1,70,848
कुल	12,06,035	12,79,192

अनुसूची 10 अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	1,55,81,989	1,43,67,682
ख) लिखित देनदारी-छूट (प्रत्याभूत जमा- आडिटोरियम)	-	-
ग) विविध आय	1,28,141	3,94,998
कुल	1,57,10,130	1,47,62,680

ह./- ह./- ह./- ह./-
लेखापाल सहायक निदेशक, वित्त उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11 - स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	1,54,21,065	1,51,89,902
ख) बोनस	1,49,673	1,58,884
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	11,38,141	11,24,496
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	55,000	14,510
ड.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	61,745	43,361
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	7,85,298	9,29,662
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	10,47,957	15,82,764
ज) कर्मचारी समूह बीमा	1,12,001	1,14,165
कुल	1,87,70,880	1,91,57,744

	चालू वर्ष	चालू वर्ष
अनुसूची 12 - अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखापरीक्षा शुल्क	1,17,650	1,04,650
ख) सीएससीएपी - सामान्य व्यय	2,000	2,227
ग) विज्ञापन खर्च	63,821	1,94,776
घ) विद्युत एवं जल	59,30,642	51,75,881
ड.) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	1,91,37,275	92,00,346
च) कार्यालय बीमा	72,806	70,955
छ) एनडीएमसी संपत्ति कर	30,48,819	33,87,610
ज) कार्यालय व्यय	8,83,148	11,02,463
झ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	7,70,871	8,06,605
ञ) मुद्रण और लेखन सामग्री	12,65,512	6,40,348
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	2,80,17,816	2,72,46,598
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	1,62,04,076	82,32,976
ड) सुरक्षा व्यय	23,73,466	21,81,205
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	31,97,147	28,72,310
ण) अन्य व्यय	4,17,419	1,27,157
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	3,10,461	3,45,399
थ) ग्राहकी एवं सदस्यता शुल्क	5,50,059	3,96,024
द) वेबसाइट व्यय	4,55,626	9,440
ध) पूर्व अवधि व्यय	3,81,954	-
कुल	8,32,00,568	6,20,96,970

ह./- ह./- ह./- ह./-

लेखापाल वरिष्ठ लेखा अधिकारी उप महानिदेशक महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. <u>लेखाकरण अभिसमय</u>

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. <u>अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास</u>

2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/पेरिफेरल	25%
विद्युत अधिष्ठापन	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्टूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

3. राजस्व मान्यता

-12-

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षयी आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

लेन देन की तिथि को जारी विदेशी मुद्रा में वर्णित लेनदेन की गणना विदेश मंत्रालय के विनिमय की अधिकृत दर (ओआरई) पर की गई है।

5. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को ई पी एफ ओ को अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर देय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 03/06/2019

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

-12-

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 14 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. आकस्मिक देनदारियां :

   क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचली अदालत ने आईसीडब्ल्यू को कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। आई सी डब्ल्यू द्वारा निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए जाने के कारण 2.00 लाख रुपए की देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा करा दिए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

   ख. आईसीडब्ल्यूए के विरुद्ध अन्य न्यायालयी मामलों के संबंध में देनदारियां, यदि कोई हैं - शून्य

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं: अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

4. सीएससीएपी–भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है अर्थात अनुदान को प्राप्त करना तथा उसका प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरियों हेतु उसका उपयोग करना। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष / कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।

5. जहां कहीं भी आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।
6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।
7. अचल परिसंपत्ति में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है, उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।
8. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान प्रबंधन के पास लीज रेंट की कोई देनदारी नहीं है। यदि भूमि की लागत भवन की लागत (व्यक्तिगत निधि) का एक भाग है तो क्या भवन पर प्रभारित मूल्यह्रास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 03/06/2019

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित वार्षिक लेखा 2018-19 का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
लेखाकर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप महानिदेशक	महानिदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम पृथक रिपोर्ट प्रारूप

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 जिसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20 (2) पढ़ा जाता है, की है। इन वित्तीय विवरणों की जवाबदेही विश्व मामलों की भारतीय परिषद की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर विचारों की अभिव्यक्ति करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सिर्फ लेखा उपचार पर वर्गीकरण, बेहतर लेखा अभ्यास की संपुष्टि, लेखा मानक एवं प्रकटन मानक आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।

3. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है। इन मानकों को अपेक्षा होती कि हम जो लेखापरीक्षा करते हैं उनके वित्तीय विवरण में मटीरियल संबंधी मिथ्या विवरण न होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त हों। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर परीक्षण, वित्तीय विवरण में राशियों एवं प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के सभी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. जहां तक हमें पता है और विश्वास है हमने लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं;

ii. इस रिपोर्ट के साथ पेश किए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारूप को लेखा, महानियंत्रक, विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

iii. पुस्तक का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) की आवश्यकतानुसार लेखा की समुचित पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा तैयार की गई हैं।

iv. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

क. सामान्य

क.1 परिषद ने पूर्वधारणा के तहत कि वर्ष के अंत में सभी कर्मचारियों को उपदान का भुगतान किया जाना है, 89.69 लाख रुपए की राशि का उपदान के रूप में प्रावधान किया है। परिषद ने एएस–15 में निर्धारित बीमांकिक मूल्यन के आधार पर प्रावधान नहीं किया है।

ख. वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास विधि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाना है। हालांकि, परिषद ने 'मूल्यह्रास' दर को अपनाया है जो आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों से भिन्न है जिन्हें सुधारा जाना आवश्यक है।

ख. सहायता अनुदान

ख.1. विश्व मामलों की भारतीय परिषद को मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान मिलता है। वर्ष 2018–19 के दौरान परिषद के पास 544.43 लाख रुपए पूर्व वर्ष की अपव्ययित अथशेष राशि थी तथा परिषद को गैर योजना के तहत 1187.00 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ, जो कुल मिलाकर 1731.43 लाख रुपए हुआ। इस राशि में से 1395.29 लाख रुपए परिषद की गतिविधियों पर खर्च हुआ तथा 336.14 लाख शेष राशि है।

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उनके निदान/सुधार हेतु प्रबंधन के माध्यम से अलग से एक पत्र जारी कर परिषद के संज्ञान में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में की गई अपनी टिप्पणी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र एवं आय तथा व्यय लेखे की लेखा बही से सहमति है।

vi) मेरी राय में तथा हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों एवं एकाउंट नोट के साथ पढ़ लिया गया है, बशर्ते इस लेखापरीक्षा के अनुबंध–1 में उल्लिखित ऊपर उद्धृत महत्वपूर्ण विषय एवं अन्य विषयवस्तु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की समनुरूपता का सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों

क. जहां तक कि 31 मार्च, 2019 तक की विश्व मामलों की भारतीय परिषद के राज्य मामलों के तुलन पत्र का संबंध है, और

ख. जहां तक कि 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 02.12.2019

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित वार्षिक लेखा 2018-19 का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुबंध-I

<u>विश्व मामलों की भारतीय परिषद की वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट:</u>

1. **आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रचुरता :**
आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि

- ड्यूटी की कोई पृथकता नहीं थी, बिल बनाने एवं नकद वितरण का कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था और कोई जॉब रोटेशन भी नहीं थी।
- अग्रिमों की वसूली नहीं हुई थी।
- सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 229 (vii) के अनुसार सभी स्वायत्त निकायों को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुदान, आय, व्यय, निवेश परिसंपत्तियों और कर्मचारी की संख्या से संबंधित डेटाबेस बनाए रखना चाहिए। यह पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हालांकि, परिषद द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया गया है

2. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :**
प्रधान, मुख्य नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा जुलाई 2016 में की गई। वर्ष 2016-19 की अवधि की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2019 में की गई है।

3. **अचल आस्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली :**
अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	संपत्ति पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्स्चर, भवन, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, साइकल एवं रिक्शा तथा जल आपूर्ति प्रणाली (केवल अनुदान से)	09.07.2019
2.	पुस्तकालय की किताबें एवं पत्रिकाएं	11.12.2012 (पुस्तकों और पत्रिकाओं के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और जुलाई 2019 तक लगभग 6000 पुस्तकों का सत्यापन किया जा चुका है।
3.	कंप्यूटर/पेरिफेरल्स, पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	09.07.2019

परिषद ने सभी परिसंपत्तियों का एक समेकित कंप्यूटरीकृत अचल संपत्ति रजिस्टर तथा फर्नीचर एवं फिक्सचर, इलेक्ट्रानिक इंस्टालेशन के लिए एक अलग रजिस्टर बना रखा है। हालांकि, जीएफआर में किए गए प्रावधानों के अनुसार अचल संपत्तियों के समेकित कंप्यूटरीकृत रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया किया गया है।

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

वस्तु सूची का दिनांक 31.3.2019 तक का भौतिक सत्यापन दिनांक 9.7.2019 को किया गया.

5. सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता

31.3.2019 तक कोई सांविधिक देनदारियां नहीं हैं।

हस्ता./-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ईए)

****

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।